

14/5/22

पत्रा कमी आज राष्ट्रीय लोक अदालत  
में पेश हुई वकील कारी ने निवेदन  
किया कि पक्षकारों के मध्य लोक  
अदालत की भावना से शान्तिपूर्ण हो  
उक्त है तथा दूध उक्त काद को  
पलका नहीं चार्जे हो कर जारी  
किडोल् कारी का काद खारिज  
किया जाये।

वकील कारी को सुना गया  
वेकड का अदाली बन किया। कारी  
अपने काद को पलका नहीं चार्जे  
हो कर जारी किडोल् कारी का  
काद खारिज किया जाता है।  
पत्रा कमी लौकल सुभार होकर प्रायिक  
दफ्तर हो।

युवक  
क-पक्षी

सहायक कलेक्टर  
ढीडवाना (नागौर)

